

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।  
क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2024/५८ दिनांक : 22/02/2024

संशोधन आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक राजपत्रित/सामान्य/प-156/2024/46 दिनांक 22.02.2024 द्वारा जारी विशिखानु प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन हेतु जारी सूची निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

क्र.सं.	आदेश मे क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	संशोधन
1	28	डॉ कृतिका बीदावत पुत्री श्री मनोहर सिंह बीदावत	प्रशिक्षण केन्द्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सलूमबर के स्थान पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर पढ़ा जावै।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2024/५८

दिनांक : 22/02/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा/ बीकानेर।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर।